"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 सितम्बर 2012—भाद्र 31, शक 1934

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-6/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ नगर पालिक राजस्व विनियामक आयोग" का गठन करती है. जिसका नाम "छत्तीसगढ़ नगर पालिक राजस्व विनियामक आयोग" है. यह दिनांक 22 सितम्बर 2012 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

1. नगर पालिक राजस्व विनियामक आयोग अधिनियम, 2011 की धारा 3 के उपधारा (4) के अनुसार आयोग में अध्यक्ष सहित, सदस्य जो तीन से अधिक न हो, समाविष्ट होंगे.

2. आयोग, नगर पालिक राजस्व विनियामक आयोग अधिनियम, 2011 में प्रदत्त शक्तियों तथा कृत्यों तथा ऐसे कृत्यों का, जैसा की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, निर्वहन करेगा.

3. आयोग का मुख्यालय रायपुर होगा.

4. आयोग उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे चल और अचल दोनों संपत्तियों का अर्जन, धारण और निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी, और उक्त नाम से वाद लाया जायेगा या वाद प्रस्तुत किया जायेगा.

5. आयोग का अध्यक्ष उक्त आयोग का मुख्य कार्यपालक होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 5-6/18/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-6/18/2009, दिनांक 22-09-2012 का अंग्रेज़ी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd September 2012

NOTIFICATION

No. F-5-6/18/2009.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Municipal Revenue (Establishment of Regulatory Commission) Act, 2011 (No. 15 of 2011), the State Government, hereby, constitutes a Chhattisgarh Municipal Revenue Regulatory Commission to be known as "Chhattisgarh Municipal Revenue Regulatory Commission". It shall come into force from 22 September 2012 in the State of Chhattisgarh.

1. The Commission shall consist of three members including the Chairperson to be appointed by the Section 3 (4) of the Municipal Revenue Regulatory Commission Act, 2011.

2. The Commission shall discharge the powers and functions as conferred to it in the Municipal Revenue Commission Act, 2011 and any other function the Government of Chhattisgarh as may notify from time to time.

3. The Head Office of the Commission shall be at Raipur.

4. The Commission shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both moveable and immovable, and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.

5. The Chairperson of the Commission shall be the Chief Executive of the said Commission.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.